College-2010

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 06/2015–16

दिनांक : 15–06–2015

आयोग के विज्ञापन संख्या 02/2010–11 दिनांक 21.09.2010 के तहत् पद क्रमांक 44 से 48 पर विज्ञापित कॉलेज शिक्षा हेतु व्याख्याता–गृह विज्ञान (बाल विकास/क्लोथिंग टेक्सटाईल/शिक्षा विस्तार/फूड न्यूट्रीशन/होन मेनेजमेन्ट) के विषय पदों के संबंध में एतद्द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :–

1 उक्त पदों हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता की समतुल्यता के संबंध में विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है (आयोग की Website पर उपलब्ध) के अनुसार **जो अभ्यर्थी तत्समय विज्ञापन अनुसार आयु सीमा एवं योग्यता की दृष्टि से पात्र थे,** से ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2 राज्य सरकार द्वारा समतुल्य मानी गई योग्यताएं आयोग की वेब–साईट पर उपलब्ध है।

3 उक्त पदों हेतु पूर्व में ली गई संवीक्षा परीक्षा एवं उनके परिणाम एतद् द्वारा रद्द किया जाता है। कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आवश्यकता होने पर पुनः संवीक्षा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

4 जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

5 ऑन लाईन आवेदन की दिनांक अब **17.06.2015 से 16.7.2015 (रात्रि 12.00 बजे तक) की जाती है।** इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा।

6 विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव

क्रमांक : एफ.7(19)भर्ती/2009–10/82-84

दिनांक : 15.06.2015

1. **प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1 निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग के उक्त **शुद्धि–पत्र संख्या 06/2015–16** को निम्नांकित दैनिक समाचार–पत्रों के नवीनतम संस्करणों में नियमानुसार केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है :–

(1) राजस्थान पत्रिका (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
(2) दैनिक नवज्योति (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
(3) दैनिक भास्कर (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
(4) राष्ट्रदूत (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
(5) राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर (नवीनतम अंक में **शुद्धि–पत्र** 06/2015–16 प्रकाशनार्थ।)

उक्त शुद्धि पत्र जिस पत्र के साथ समाचार पत्रों को भेजा जावे उसकी एक प्रति इस कार्यालय को आयोग के सूचनार्थ कृपया पृष्ठांकित करें। इन समाचार पत्रों के विज्ञापन प्रबन्धकों से भी कृपया अनुरोध किया जावे कि आयोग का शुद्धि पत्र आने वाले नवीनतम दैनिक संस्करण में हर हालत में प्रकाशित करें। साथ ही उन्हें यह भी अनुरोध किया जावे कि प्रकाशित शुद्धि पत्र की कटिंग की एक प्रति (निःशुल्क) निम्नलिखित पते पर सीधे ही भेजें क्योंकि प्रकाशित विषय सामग्री की सत्यता की जांच करना आवश्यक है:–

अनुभाग अधिकारी, परीक्षा आयोजन 'क' अनुभाग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

2. संयुक्त निदेशक, आयुक्त कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।
3. सिल्वर टैच टेक्नोलोजिस् लिमिटेड, अहमदाबाद (कैम्प ऑफिस आरपीएससी, अजमेर)।

उप सचिव